न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 64 / 2018

उनवान

1. मंगलाराम पुत्र घासी जाति गुर्जर निवासी ग्राम मण्डियानी, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :— जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 7.12.21

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है वादी ने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मंडियानी के वंर्किग व हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण की पुश्तैनी आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
185	9—4—0	448	0.39
		449	0.40
		450	0.40
		451	0.30

उपरोक्त आराजी चौसाला जमाबंदी में वादी के पिता घासी पुत्र हमीरा के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी। वंर्किग जमाबंदी में खसरा नम्बर 185 रकबा 9—4—0 का नोट अंकित किया गया। तथा उक्त आराजी वादी के पिता के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गयी वादी उक्त आराजी पर अपने पिता के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है। आज भी मौके पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 448, 449, 450 व 451 को वादी के पिता के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया। अतः हाल खसरा नम्बर 448, 449, 450 व 451 रकबा क्रमशः 0.39, 0.40, 0.40 व 0.30 का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 185 रकबा 9—4—0 वंर्किग जमाबंदी में घासी पुत्र हमीरा के नाम गैर खातेदारी [illegible] है। वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या का अंकन नही है सीधे [illegible] दर्ज कर [illegible] अंकित है। आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:38 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर पूर्व रेकार्ड मे विधिवत रूप से गैर खातेदार दर्ज था ?
–– वादीगण

2. आया वादी वादग्रस्त आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

3. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ?
–– वादीगण

4. आया वादग्रस्त आराजी वर्किंग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या अंकन नही है सीधे ही चौसाला के अनुसार गैर खातेदार दर्ज करना अंकित है। इससे वाद पर क्या प्रभाव पडेगा ?

5. अनुतोष ?

वद विचरण के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद में प्रार्थिना पत्र पेश का संशोधित वाद पेश किया। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी मंगला व गवाह मुन्ना के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व राज0 पैरोकार के जवाब अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 185 रकबा 9–4–0 खाता संख्या 1 में ''चौसाला के अनुसार खाता संख्या 1 से घासी पुत्र हमीरा गुर्जर के नाम गैर खातेदार दर्ज हुआ।'' वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2035 के कालम संख्या 41 में भी घासी पुत्र हमीरा गुर्जर का नाम अंकित है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020 से 2023 में भी चौसाला खसरा नम्बर 105 मिन रकबा 15–0–0 में कालम संख्या 6 में घासी पुत्र हमीरा का नाम अंकित है। चौसाला जमाबंदी में भी चौसाला खसरा नम्बर 105 मिन रकबा 15–0–0 घासी पुत्र हमीरा क नाम खाता संख्या 179 में दर्ज है। चौसाला खसरा नमबर 105 के खसरा नम्बर 185 व अन्य खसरा नम्बर बने है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी व वंर्किग जमाबंदी में भी वादी के पिता के नाम दर्ज थी। वादी द्वारा प्रस्तुत वर्किंग जमाबंदी से भी वादी के कथनों की ताईद होती है। राज0 पैरोकार ने वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेंज पेश नही किये है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 से 4 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार पूर्व राजस्व अभिलेख में वंर्किग खसरा नम्बर 185 रकबा 9–4–0 की आराजी वादी के पिता घासी पुत्र हमीरा के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी। वादी द्वारा इसके समर्थन में वांछित दस्तावेज पेश किये है। राजस्व कार्मिको को चौसाला जमाबंदी का इन्द्राज वंर्किग जमाबंदी में विधिवत तरीके से करना चाहिये था। किन्तु उनके द्वारा वंर्किग जमाबंदी मे नामान्तकरण से अंकन करने के बजाय सीधे ही [illegible] अंकित कर दिया है। किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा तत्समय विधिवत तरीके से ना[illegible] दर्ज नही करने की त्रुटि हेतु वादी जिम्मेदार नही है। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व [illegible] होने के कारण वादी का वाद पत्र खारिज नही किया जा सकता है जबकि [illegible] के द्वारा उक्त आराजी के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये [illegible] नामान्तकरण भूमि का इन्द्राज करने का दायित्व राजस्व कार्मिको का है। [illegible]को द्वारा उक्त कार्य नही किये जाने के कारण ही वादी द्वारा प्रश्नगत वाद न्यायालय में पेश किया है। किन्तु वादी के पिता पूर्व राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के गैर खातेदार दर्ज थे जिसकर खातेदारी नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:38 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दी गयी थी। अतः ऐसी स्थिति में वादी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती व गैर खातेदारी प्राप्त करने का ही अधिकारी है। तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 448 रकबा 0.39, 449 रकबा 0.40 450 रकबा 0.40 व 451 रकबा 0.30 आराजी पर वादी का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मंगलाराम बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 64/2018
पेश करने की दिनांक – 26.4.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई प्रतिवादी राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 448 रकबा 0.39, 449 रकबा 0.40 450 रकबा 0.40 व 451 रकबा 0.30 आराजी पर वादी का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 7 माह 12 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:38 IST
Reason: SelfAttested